मंथन अध्ययन केन्द्र

दशहरा मैदान रोड़, बड़वानी (मध्यप्रदेश) 451 551
फोन - 07290 – 222857, मोबा॰ - 93008 33001 (रेहमत)
email - manthan.kendra@gmail.com, web - www.manthan-india.org

7 जून 2008

आमंत्रण

जलक्षेत्र में नियामक तंत्र की प्रक्रिया पर कार्यशाला
दिनांक 13 जून 2008 (शुक्रवार)

प्रिय

सेक्टर रिफार्म (क्षेत्र सुधार) के तहत मध्यप्रदेश में विश्व बैंक के 39.6 करोड डॉलर कर्ज से **'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'** पर कार्य जारी है। इस कर्ज की शर्तों के तहत अनेक नीतिगत बदलाव प्रस्तावित हैं। इन बदलावों का राज्य की बहुसंख्यक आबादी खासकर किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है।

विश्व बैंक के कर्ज की शर्तों में से एक है **'जल नियामक आयोग'** के गठन संबंधी कानून का निर्माण। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कानून का प्रारूप तैयार हो चुका है। इस कानून के प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई जा चुकी है।

जल नियामक आयोग के गठन का आधार विद्युत नियामक आयोग है। देश का पहला जल क्षेत्र का नियामक आयोग महाराष्ट्र में गठित किया जा चुका है। 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग' तथा 'महाराष्ट्र जल संसाधन नियमन प्राधिकरण' के अनुभवों से आशंका है कि 'क्षेत्र सुधार' से नाम से जारी इस सारी कवायद का परिणाम पानी का निजीकरण और बाजारीकरण होगा।

विश्व बैंक के परियोजना क्रियांवयन दस्तावेज के अनुसार नियामक तंत्र का उद्देश्य जल क्षेत्र को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करवाना है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक सरोकारों से परे जलक्षेत्र को बाजार के हवाले किया जाएगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण कानून के प्रारूप को सार्वजनिक कर उस पर समाज की प्रतिक्रिया लेने के बदले इसे आम जनता से छिपाया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत हमारे द्वारा सरकार से इस कानून का प्रारूप बार-बार माँगने के बावजूद इसे हमें उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

इस सारे मामले में समाज का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। इसलिए नियामक तंत्र की अवधारणा, नियामक तंत्र निर्माण की वजहें, इस संबंध में अभी तक के अनुभव, इसके संभावित परिणामों आदि मुद्दों पर चर्चा करने हेतु **13 जून 2008** (शुक्रवार) को **'मंथन'** एवं **'प्रयास'** (पुणे) द्वारा **भोपाल** में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम गाँधी भवन, पोलिटेक्निक चौराहा, श्यामला हिल्स में आयोजित किया गया है।

शोध संस्था 'प्रयास' पिछले एक दशक से अधिक समय से देश के विद्युत क्षेत्र में नियामक प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन कर रही है तथा पिछले एक वर्ष से 'महाराष्ट्र जल संसाधन नियमन प्राधिकरण' की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है।

साथी समूहों के साथ विचार में यह तथ्य उभरकर आया कि इस बहस में जल क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के अतिरिक्त मुख्यधारा के राजनैतिक दलों को भी शामिल किया जाए। इसलिए कार्यशाला के बाद शाम को एक आमसभा सत्र रखा गया है, जिसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से जलक्षेत्र की नियामक प्रक्रिया पर उनके दलों के विचार जानने का प्रयास करेंगें। यदि कार्यक्रम और इसकी विषयवस्तु/मुद्दों के संबंध में आपके कोई सुझाव है तो कृपया हमें अवश्य अवगत कराएँ।

सधन्यवाद

(सचिन वारघड़े)
प्रयास, पुणे

(रेहमत)
मंथन अध्ययन केन्द्र

सह—आयोजक
बी—21, बी॰के॰ एवेन्यू, सर्वे 87/10 — अ, न्यू डी॰पी॰ रोड़ आज़ाद नगर, कोथरूड़, पुणे (महाराष्ट्र) 410 038
दूरभाष: 020-65615594, email: reli@prayaspune.org website: www.prayaspune.org

मध्यप्रदेश में जलक्षेत्र में सेक्टर रिफार्म

सेक्टर रिफार्म के तहत मध्यप्रदेश में एडीबी की सहायता से **'मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना'** तथा विश्व बैंक के सहयोग से **'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'** परियोजना संचालित है। इन दोनों कर्जों की शर्तों के तहत किये जाने वाले नीतिगत बदलावों का आम जनता और जलक्षेत्र पर असर होगा।

एडीबी सहायतित **'मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना'** से प्रदेश के 4 शहरों–इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर–में जलापूर्ति एवं जल–मलनिकास तंत्र के सुधार का दावा किया गया है। इस हेतु कुल योजना खर्च 30.35 करोड़ डॉलर में से 20 करोड़ डॉलर एडीबी कर्ज के रूप में प्रदान करेगा तथा शेष राशि प्रदेश सरकार तथा संबंधित शहरों को जुटानी होगी। इस कर्ज की शर्तों में जल प्रदाय व्यवस्था को व्यापारिक सिद्धांतों पर चलाया जाना शामिल है।

विश्व बैंक सहायति **'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'** हेतु प्रदेश सरकार ने 39.6 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। हालांकि इस कर्ज का उपयोग मुख्यत: पाँच कछारों (चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस) में किया जायेगा लेकिन इसकी शर्तों के तहत किये जाने वाले नीतिगत बदलावों से पूरे राज्य के जल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव होगा। इस कर्ज की एक शर्त के अनुरूप **'जल नियामक आयोग'** (State Water Regulatory Commission) संबंधी कानून बनाना होगा।

प्रस्तावित म॰प्र॰ जल नियामक आयोग

विश्व बैंक ने यह कर्ज सेक्टर रिफार्म या क्षेत्र सुधार के तहत दिया है। विश्व बैंक द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष रखी गई शर्तो में से एक है – जल दर नियामक आयोग का गठन किया जाना। आयोग के गठन से सिंचाई दरों का निर्धारण सरकार के अधिकार क्षेत्र से निकलकर नियामक तंत्र के अधीन हो जाएगा।

विश्व बैंक के परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज के अनुसार जलक्षेत्र को आर्थिक स्वावलंबी बनाने हेतु इसकी लागत/राजस्व की समीक्षा, निगरानी तथा दरों के निर्धारण हेतु एक स्वायत्त जलदर नियामक आयोग का गठन किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि जलदर नियामक आयोग के गठन में परियोजना (सरकार) मदद करेगी।[1] विश्व बैंक सहायतित इस परियोजना के संचालन हेतु विशेष रूप से गठित **'परियोजना क्रियान्वयन एवं संयोजन इकाई'** (पाईकू **PICU**) द्वारा **'मंथन'** को दी गई जानकारी के अनुसार सरकार इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है।

---

[1] परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज पृष्ठ 3 और 4

अप्रैल 2008 तक विश्व बैंक की 11 शर्तें पूरी की जा चुकी थीं तथा शेष 3 शर्तों पर प्रगति जारी है।[2]

विश्व बैंक का दस्तावेज खुलासा करता है कि 'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' का रूपांकन निजी–सार्वजनिक भागीदारी (निजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जुमला) लागू करने को ध्यान में रखकर किया गया है तथा जलक्षेत्र में सुधार का मुख्य आधार यही निजीकरण होगा।[3] परियोजना का प्रांरभिक लक्ष्य 1 मध्यम और 25 छोटी सिंचाई योजनाओं का निजीकरण करना है।[4] जल उपभोक्ता समूह, पंचायतें अथवा निजी कंपनी किसी को भी ये योजनाएं सौंपी जा सकती है।

सिंचाई तंत्र के निजीकरण हेतु नीतिगत बदलावों की श्रंखला में **जल नियामक आयोग'** के गठन संबंधी कानून का निर्माण भी शामिल है। शर्त के अनुसार वैसे तो प्रदेश सरकार को इस कानून का प्रारूप 31 दिसंबर 2005 तक[5] तैयार करना था, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तैयार है तथा इसे अंतिम रूप देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 2007 में एक उच्चाधिकार समिति (High Power Panel) गठित की जा चुकी है।[6]

इन प्रस्तावित बदलावों से आशंका है कि जीवन के लिए जरूरी संसाधन पानी मात्र बाजारी जिंस में तब्दील होकर रह जाएगा तथा उस पर समाज का अधिकार नकारा जा सकता है। इस बदलाव का सबसे बुरा असर खेती–किसानी पर पड़ेगा। वर्तमान में किसानों को सिंचाई हेतु बिजली बिल भरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वयं के कुओं–नलकूपों और सार्वजनिक नदी–नालों से सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली के साथ पानी का बिल भी चुकाना पड़ेगा तब क्या होगा? उल्लेखनीय है कि प्रदेश की भौगालिक सीमाओं में उपलब्ध सारा जल संसाधन जल नियामक आयोग के अधीन हो जाएगा तथा वही पानी की दरें तय करेगा।

विश्व बैंक ने स्वीकार किया है कि नियामक व्यवस्था का उद्देश्य जल क्षेत्र को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करवाना है।[7] विश्व बैंक के इस कथन से अंदेशा है कि नियामक व्यवस्था का उपयोग निजी कंपनियों को पानी के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने हेतु किया जाएगा। ऐसे में गरीब और कमजोर तबके के लोग जो चुनाव के माध्यम से 5 वर्षों में केवल एक बार ही नीतिगत मामलों में प्रभाव डाल पाते है, वे अपने इस अधिकार से भी वंचित हो जायेंगे।

---

[2] सूचना का अधिकार कानून के तहत 'मंथन' को प्राप्त जानकारी
[3] परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज पृष्ठ–7
[4] परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज पृष्ठ–9
[5] कर्ज की छटवीं शर्त, परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज पृष्ठ–7
[6] Free Press, Infote, Dated Aug 31, 2007
[7] स्रोत–परियोजना **lpuk** दस्तावेज, पृष्ठ–10

विश्व बैंक की चौथी शर्त के अनुसार 12 दिसंबर 2005 को राज्य जल संसाधन एजेंसी (SWaRA) का भी गठन किया जा चुका है जो अधिकतम उपयोग प्रबंधन के आधार पर विभिन्न सेक्टरों के मध्य जल अधिकारों का आवंटन करेगी।[8] महाराष्ट्र के आयोग को **'महाराष्ट्र जल संसाधन नियमन प्राधिकरण'** नाम देकर व्यापक बनाया गया है जिसे जल अधिकारों का आवंटन भी पात्रता है। चूँकि देश में सबसे पहला जल नियामक आयोग महाराष्ट्र में गठित हुआ है इसलिए अन्य राज्य इसे मॉडल के रूप में देख रहे हैं। संभावना है कि या तो मध्यप्रदेश में 'राज्य जल संसाधन एजेंसी' के अधिकार भी जल नियामक आयोग में समाहित कर दिए जाएँ या फिर SWaRA द्वारा विश्व बैंक की शर्तों के तहत बाजार के सिद्धांतों पर पानी बेचने का कामं किया जाए।

विश्व बैंक की शर्तें ऐसी है कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारें भी इनमें बदलाव नहीं कर पाएगी। कर्ज की अंतिम शर्त के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी कार्य पर विश्व बैंक की सहमति के बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। विश्व बैंक से कार्ययोजना स्वीकृत होने के बाद ही किसी योजना पर अमल प्रारंभ किया जा सकेगा।[9]

देश में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद इस कर्ज से संचालित परियोजना में पारदर्शिता का अभाव है। जिस बदलाव से सारा प्रदेश और खासकर दो तिहाई से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला किसान समुदाय सीधे प्रभावित हो रहा हो उस परियोजना के बारे में पर्याप्त पारदर्शिता जरूरी है। विश्व बैंक के परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज के मुखपृष्ठ पर ही बॉक्स में इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि इस दस्तावेज का उपयोग प्राप्तकर्ता (सरकार) द्वारा केवल अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाए। तथा इसकी विषयवस्तु को विश्व बैंक की सहमति के बगैर किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया जाए।[10] कर्ज दस्तावेज के अनुसार जल नियामक आयोग का कार्य राज्य में पानी की थोक दरों का निर्धारण करना है[11] लेकिन खुदरा दरें भी तो थोक दरों से ही तय होंगी।

---

[8] सूचना का अधिकार कानून के तहत 'मंथन' को प्राप्त जानकारी
[9] स्रोत–परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, पृष्ठ–iv
[10] स्रोत–परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज का मुखपृष्ठ पर अंकित चेतावनी
[11] स्रोत–परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, पृष्ठ–vi

मध्यप्रदेश में जल नियामक आयोग के प्रभाव पर कार्यशाला का कार्यक्रम

13 जून 2008

(स्थान — गाँधी भवन, पोलिटेक्निक चौराहा, भोपाल)

रजिस्ट्रेशन	9:15 - 9:30	
उद्घाटन सत्र		
▪ गीत/स्वागत भाषण	9:30 - 9:40	
▪ सहभागियों का परिचय	9:40 - 10:00	
▪ कार्यक्रम की भूमिका	10:00 - 10:10	श्रीपाद धर्माधिकारी, मंथन
▪ नियामक तंत्र की अवधारणा, इतिहास	10:10 - 10:30	सुबोध वागळे, प्रयास
▪ विद्युत नियामक आयोग के म॰प्र॰ एवं अन्य राज्यों के अनुभव	10:30 - 11:00	लोकेन्द्र तोमर, किसान अंजड़ (बड़वानी) सुनील भाई, सामा॰ कार्यकर्त्ता, केसला एमएल चौकसे, जनता कर्मचारी यूनियन
▪ अतिथि उद्बोधन	11:00 - 11:15	अरविंद केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
चाय विराम	11:15 11:30	
▪ महाराष्ट्र जल संसाधन नियमन प्राधिकरण के अनुभव ▪ मध्यप्रदेश में जल–दर नियामक आयोग के संभावित प्रभाव	11:30 - 12:10 12:10 - 12:20	प्रयास समूह, पुणे रेहमत, मंथन
▪ नियामक व्यवस्था पर सवाल–जवाब	12:20 - 12:40	
नियामक कानून संबंधी रणनीति	12:40 - 01:30	
भोजन विराम	01:30- 02:30	
मध्यप्रदेश में सेक्टर रिफार्म परियोजनाएँ ▪ मध्यप्रदेश शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरण उन्नयन परियोजना ▪ मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुर्रचना परियोजना	02:30 - 02:40 02:40 - 02:50	सुनील भाई, केसला राकेश चांदोरे, झुग्गी बस्ती मोर्चा, इंदौर गौरव, मंथन
मीटिंग के दौरान चाय		
म॰प्र॰ में रिफार्म के सिंचाई व्यवस्था पर प्रभाव (केस अध्ययन) ▪ तवा परियोजना ▪ रीवा ▪ बड़वानी	02:50 - 03:00 03:00 - 03:10 03:10 - 03:20	. लक्ष्मणसिंह राजपूत, ग्राम सेवा समिति चंडीकेश्वरसिंह तिवारी, रीवा मंथन
मध्यप्रदेश के बाहर के सहभागियों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण	03:20 - 03:50	
दूसरे सत्र की प्रस्तुतियों पर टिप्पणियाँ/चर्चा/सवाल	03:50 - 04:15	
आभार प्रदर्शन	04:15	

मध्यप्रदेश में जल नियामक आयोग के प्रभाव पर

सार्वजनिक सभा

13 जून 2008

(स्थान — गाँधी भवन, पोलिटेक्निक चौराहा, भोपाल)

भूमिका		
कार्यक्रम का शुभारंभ	5:30 - 5:35	
कार्यक्रम की भूमिका नियामक अवधारणा, सेक्टर रिफार्म परियोजनाएँ	5:35 - 5:50	श्रीपाद धर्माधिकारी, मंथन
विद्युत नियामक आयोग के म॰प्र॰ एवं अन्य राज्यों के अनुभव	5:50 - 6:00 6:00 - 6:20	सुनील भाई, सामा॰ कार्यकर्त्ता, केसला एमएल चौकसे, जनता कर्मचारी यूनियन
जल नियामक आयोग (महाराष्ट्र के अनुभव तथा मध्यप्रदेश में संभावित प्रभाव)	6:20 - 6:50	सुबोध वागळे, प्रयास
अतिथि उद्बोधन		
अतिथि - 1	6:50 - 7:00	अब्दुल जब्बार, सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल
अतिथि - 2	7:00 - 7:15	अरविंद केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्त्ता
राजनैतिक दलों की भूमिका		
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जल क्षेत्र में नियामक व्यवस्था पर अपने दल की भूमिका	7:15 से	प्रत्येक वक्ता 5 -7 मिनिट
अध्यक्षीय उद्बोधन		
अध्यक्षीय उद्बोधन	7:50 - 8:00	
आभार प्रदर्शन/समापन	8:00	
चाय—काफी/स्वल्पाहार		